

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 फरवरी 2010—माघ 17, शक 1931

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2010

क्र. एफ-4-34-2008-सात-4 ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री अधीनस्थ (तृतीय वर्ग लिपिकीय) सेवा भरती नियम, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5 को उसके उप नियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उप नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-1-2008-नियम-चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी अन्य अनुपूरक परिपत्रों के अधीन समयमान वेतन के लिए पात्र होंगे”.

No. F 4-34-08-seven-4 A.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Printing and Stationary Sub-ordinate (Class-III Ministerial) Service Recruitment Rules, 1993, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, rule 5 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2) The members of the service shall be eligible for time scale pay under the Finance Department's Circular No. F 11-1-2008-Niyam-IV, dated 24th January, 2008 and other supplementary circulars issued in this behalf from time to time”.

क्र. एफ. 4-34-2008-सात-4ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री (अलिपिक-वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1965 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5 को उसके उप नियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उप नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-1-08-नियम-चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी अन्य अनुपूरक परिपत्रों के अधीन समयमान वेतन के लिए पात्र होंगे”.

No. F 4-34-08-seven-4 A.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Printing and Stationary (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 1965, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, rule 5 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2) The members of the service shall be eligible for time scale pay under the Finance Department's Circular No. F . 11-1-2008-Niyam-IV, dated 24th January, 2008 and other supplementary circulars issued in this behalf from time to time”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष जैन, अपर सचिव.